GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Odisha Abibhabak Mahasanga (Odisha Parent's Federation), # 226, Kharvela Nagar, Bhubaneswar, Odisha.

V/s.

1. **Cambridge School Cantonment Road, Cuttack, Odisha – 753 001.**
2. **Director, Secondary Education, 6th Floor, HOD Building, Unit V, Bhubaneswar, Khordha, Odisha.**

MISC. CASE NO. 02 OF 2021 **Date: 16.09.2026**

Present: None for the petitioner.
Mr. Suvendu Suvasis Dash, Advocate for respondent No.1.

District Welfare Officer, Kataka, Odisha vide letter dated 07.08.2026 has sent the duly signed physical inspection report, which was received by post before the Commission's office on 13.08.2026. The same is taken on record.

Further, in response to this Commission's reminder letter dated 13.08.2026, District Welfare Officer, Kataka, Odisha also furnished the copy of letter dated 07.08.2026 alongwith the physical inspection report vide his letter dated 18.08.2026, which was received post before the Commission's office on 01.09.2026 and is also taken on record. The same communication has also been received through e-mail on 18.08.2026 from District Welfare Officer, Kataka and is taken on record.

Respondent No.1 has not complied with the Commission's earlier order dated 20.11.2025, wherein he was directed to produce original minority status certificate granted by this commission to their school in Case No. 322 of 2007. He was also directed to file original Certificate of Affiliation issued by the ICSE to the respondent school, certified copies of the Certificate of Registration, Memorandum of Association, Rules and Regulations alongwith list of founding members and present members of the respondent society duly certified by the Registrar of Societies.

Learned counsel for Respondent No. 1 has prayed for time to comply with the Commission's earlier order dated 20.11.2025. Last and final opportunity is granted.

List on 25.11.2026.

DR. SHAHID AKHTER
MEMBER

DD

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Islamia Lilbinat Junior High School, Parikshit Garh, Meerut, Uttar Pradesh – 250 406.

V/s.

1. Additional Chief Secretary, Department of School Education, Government of Uttar Pradesh, Bahu Khandi, Uttar Pradesh – 226 001.

2. Additional Chief Secretary, Department of Secondary Education, Government of Uttar Pradesh, Bahu Khandi, Uttar Pradesh – 226 001.

CASE NO. 64 OF 2022 **Date: 16.09.2026**

Present: Mr. Junais.P, Advocate for the petitioner.
None for the respondent.

Despite sending an undertaking affidavit to the members of the physical inspection committee, no response has been received from them till now. Hence, the case is proceeded ex-parte against them in terms of Commission's order dated 30.07.2026.

Learned counsel for the petitioner is directed to file details of the students and teachers of the petitioner institution for the last three academic year.

Learned counsel for the petitioner has submitted that certified copies of all the relevant documents are already on record.

List the case for final arguments on 18.11.2026. Order be notified to parties.

DR. SHAHID AKHTER
MEMBER

DD

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Sana Smart Matriculation School, No. 13/3B, Perambur High Road, First Street, Jamalia, Chennai, T.N. – 600 012.

V/s.

The Principal Secretary, School Education Department, Government of T.N., Rina Road, Fort St. George, Secretariat, Chennai, T.N. – 600 009.

CASE NO. 93 OF 2024 **Date: 16.09.2026**

Present: Mr. Jose Abraham, Advocate for the petitioner.
None for the respondent.

Learned counsel submitted that the updated Recognition Order shall be issued by the Competent Authority by December 2026.

At the request of the learned counsel for the petitioner, one more opportunity is granted to file the updated Recognition Order issued by the Competent Authority. Time prayed for is allowed.

List on 19.01.2027.

DR. SHAHID AKHTER
MEMBER

DD

GOVERNMENT OF BHARAT
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

DNS College of Pharmacy, NH-24, JP Nagar, Didauli, Amroha, Uttar Pradesh- 244 222.

Vs.

Principal, Technical Education, Govt. of Uttar Pradesh, Room No. 63, Naveen Bhawan, U.P. Secretariat, Lucknow, Uttar Pradesh- 226 001.

Case No. 255 of 2024 **Date: 16.09.2026**

Present: Mr. Junais P., Advocate for the petitioner.
None for the respondent.

Though the case was fixed for final arguments, it transpires from the application filed by the petitioner before the court of the Commission that the requisite details of the students and teachers have been furnished only for the academic years 2021-22, 2022-23 and 2023-24, and no details for the subsequent academic years have been placed on record.

Learned counsel for the petitioner is directed to file the updated details of students and teachers of the petitioner institution for the last three academic years (2024-25,2025-26 and 2026-27).

List the case for final arguments on 10.11.2026.

DR. SHAHID AKHTER
MEMBER

DD

GOVERNMENT OF BHARAT
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

St. Joseph's School, Kazipur- Terah Meet, G.T. Road, Syed Sarawan Post, Kaushambi District, Uttar Pradesh- 212 213.

Vs.

Additional Chief Secretary, Secondary Education Department, Government of Uttar Pradesh, Bapu Bhawan, 7th Floor, Lucknow, Uttar Pradesh- 226 001.

Case No. 24 of 2025 **Date: 16.09.2026**

Present: Mr. Jose Abraham, Advocate for the petitioner.
None for the respondent.

Though this case was fixed for final arguments, it transpires from the physical inspection report submitted by the physical inspection committee that, during the year 2025-26, out of total 1385 students, only 04 students of Christian community are studying in the petitioner institution.

Learned counsel for the petitioner has prayed for time to seek instruction from his client. Time prayed for is allowed.

List on 05.11.2026

DR. SHAHID AKHTER
MEMBER

DD

GOVERNMENT OF BHARAT
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

R.A.B. Shiksha Mahavidyalaya, Plot No. 405/1, Street No. 3, Village Akbarpur Khalsa, Post Jamahar, Gwalior, Madhya Pradesh- 474016.

Vs.

Commissioner, Backward Classes and Minority Welfare Department, Government of Madhya Pradesh, Madhya Pradesh.

Case No. 151 of 2026 **Date: 16.09.2026**

Present: Mr. Iftekhar Ahmed, Advocate for the petitioner.
None for the respondent.

Learned counsel for the petitioner has filed Notarized/ Certified copies of seven documents which were received by post before the Commission's office on 07.09.2026, The said documents are taken on record.

An email dated 02.09.2026 has been received from <bcbpl@nic.in> attaching therewith a copy of letter dated 31.08.2026 of Joint Director, Backward Classes and Minority Welfare Department, Madhya Pradesh, the same is taken on record. The letter states that the petitioner has not applied for a No Objection Certificate before the Competent Authority under the integrated process, consequently, no action is required.

The office is directed to supply a copy of the said letter to the learned counsel for the petitioner. Learned counsel for the petitioner is directed to file rejoinder within two week. After compliance, office is directed to send the rejoinder to the respondent for filing counter, if any, before the next date of hearing.

Despite sending notice to the respondent by registered AD and email, none appeared on behalf of the respondent and no reply has been received till now.

Since no reply has been received, it would be proper that physical inspection report alongwith the recommendations may be obtained from the Committee consisting of the following members for issuance of the minority status certificate to the petitioner institution:-

1. Representative of the concerned District Collector (Chairperson)
2. Concerned District Education Officer (Member)
3. Concerned District Minority Welfare Officer/ Concerned District Social Welfare Officer (Member Secretary)

The office is directed to issue letter to the above authorities and provide a copy of the letter to the learned counsel for the petitioner.

Learned Counsel for the petitioner is directed to approach the members of the Physical inspection Committee and provide all the relevant documents to the said Committee and pursue the matter with the Physical Inspection Committee for inspection of the petitioner institution.

List on 18.11.2026.

DR. SHAHID AKHTER
MEMBER

DD

GOVERNMENT OF BHARAT
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Shakti Vidhya Mandir Education & Training Institute, Ward No. 5, Katarkana Road, Katangi, District Balaghat, Madhya Pradesh-481445.

Vs.

Commissioner, Backward Classes and Minority Welfare Department, Government of Madhya Pradesh, Madhya Pradesh.

Case No. 152 of 2026 **Date: 16.09.2026**

Present: Mr. Iftekhar Ahmed, Advocate for the petitioner.
None for the respondent.

Learned counsel for the petitioner has filed Notarized/ Certified copies of seven documents which were received by post before the Commission's office on 07.09.2026, The said documents are taken on record.

An email dated 02.09.2026 has been received from <bcbpl@nic.in> attaching therewith a copy of letter dated 31.08.2026 from Joint Director, Backward Classes and Minority Welfare Department, Madhya Pradesh, the same is taken on record. The letter states that the petitioner has not applied for a No Objection Certificate before the Competent Authority under the integrated process, consequently, no action is required.

The office is directed to supply a copy of the said letter to the learned counsel for the petitioner. Learned counsel for the petitioner is directed to file rejoinder within two week. After compliance, office is directed to send the rejoinder to the respondent for filing counter, if any, before the next date of hearing.

Despite sending notice to the respondent by registered AD and email, none appeared on behalf of the respondent and no reply has been received till now.

Since no reply has been received, it would be proper that physical inspection report alongwith the recommendations may be obtained from the Committee consisting of the following members for issuance of the minority status certificate to the petitioner institution:-

1. Representative of the concerned District Collector (Chairperson)
2. Concerned District Education Officer (Member)
3. Concerned District Minority Welfare Officer/ Concerned District Social Welfare Officer (Member Secretary)

The office is directed to issue letter to the above authorities and provide a copy of the letter to the learned counsel for the petitioner.

Learned Counsel for the petitioner is directed to approach the members of the Physical inspection Committee and provide all the relevant documents to the said Committee and pursue the matter with the Physical Inspection Committee for inspection of the petitioner institution.

List on 18.11.2026.

DR. SHAHID AKHTER
MEMBER

DD

GOVERNMENT OF BHARAT
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Shakti Vidhya Mandir Education & Training Institute, Plot/ Khasra No. 253/2, 234/6, 236/6, 237/7, Ward No. 1, Katangi Balaghat, Madhya Pradesh- 481445.

Vs.

Commissioner, Backward Classes and Minority Welfare Department, Government of Madhya Pradesh, Madhya Pradesh.

Case No. 153 of 2026 **Date: 16.09.2026**

Present: Mr. Iftekhar Ahmed, Advocate for the petitioner.
None for the respondent.

Learned counsel for the petitioner has filed Notarized/ Certified copies of seven documents which were received by post before the Commission's office on 07.09.2026, The said documents are taken on record.

An email dated 02.09.2026 has been received from <bcbpl@nic.in> attaching therewith a copy of letter dated 31.08.2026 from Joint Director, Backward Classes and Minority Welfare Department, Madhya Pradesh, the same is taken on record. The letter states that the petitioner has not applied for a No Objection Certificate before the Competent Authority under the integrated process, consequently, no action is required.

The office is directed to supply a copy of the said letter to the learned counsel for the petitioner. Learned counsel for the petitioner is directed to file rejoinder within two week. After compliance, office is directed to send the rejoinder to the respondent for filing counter, if any, before the next date of hearing.

Despite sending notice to the respondent by registered AD and email, none appeared on behalf of the respondent and no reply has been received till now.

Since no reply has been received, it would be proper that physical inspection report alongwith the recommendations may be obtained from the Committee consisting of the following members for issuance of the minority status certificate to the petitioner institution:-

1. Representative of the concerned District Collector (Chairperson)
2. Concerned District Education Officer (Member)
3. Concerned District Minority Welfare Officer/ Concerned District Social Welfare Officer (Member Secretary)

The office is directed to issue letter to the above authorities and provide a copy of the letter to the learned counsel for the petitioner.

Learned Counsel for the petitioner is directed to approach the members of the Physical inspection Committee and provide all the relevant documents to the said Committee and pursue the matter with the Physical Inspection Committee for inspection of the petitioner institution.

List on 18.11.2026.

DR. SHAHID AKHTER
MEMBER

DD

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

दिनांक 16.09.2026

दार अल अरकम पब्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल, ऐरोसिटि के पीछे, सेक्टर एच गोंदार माऊ, अब्बास नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश

बनाम

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश।
केस नं.:- 97/2026

उपस्थिति- श्रीमान जुनैश पी. अधिवक्ता याची की ओर से।
प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं।

प्रतिवादी को रजिस्टर्ड डाक और ईमेल के माध्यम से दिनांक 17.08.2026 को नोटिस भेजा गया था किंतु अभी तक आयोग के न्यायालय को भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि भौतिक निरीक्षण समिति के सदस्यों को पत्र भेजा जाये तथा भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट सकारात्मक रूप से अगली सुनवाई से पहले भेजने का निर्देश दिया जाए।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सूचित किया जाए कि अगली सुनवाई से पहले संबंधित सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि आयोग के न्यायालय में जमा करें।

न्यायहित में मामले को दिनांक 12.11.2026 को सूचीबद्ध किया जाए।

डॉ. शाहिद अख्तर
सदस्य

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

दिनांक 16.09.2026

दार अल अरकाम पब्लिक स्कूल, लायंस आई हॉस्पिटल के पास, पोरवाल कॉलोनी, ए.बी. रोड गुना, मध्य प्रदेश

बनाम

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश।

केस नं. 98/2026

उपस्थिति- श्रीमान जुनैश पी. अधिवक्ता याची की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं।

प्रतिवादी को रजिस्टर्ड डाक और ईमेल के माध्यम से दिनांक 17.08.2026 को नोटिस भेजा गया था किंतु अभी तक आयोग के न्यायालय को भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि भौतिक निरीक्षण समिति के सदस्यों को पत्र भेजा जाये तथा भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट सकारात्मक रूप से अगली सुनवाई से पहले भेजने का निर्देश दिया जाए।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सूचित किया जाए कि अगली सुनवाई से पहले संबंधित सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि आयोग के न्यायालय में जमा करें।

न्यायहित में मामले को दिनांक 12.11.2026 को सूचीबद्ध किया जाए।

डॉ. शाहिद अख्तर
सदस्य

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

दिनांक 16.09.2026

इकरा पब्लिक मिडिल स्कूल, सिरनोज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश

बनाम

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश।

केस नं. 99/2026

उपस्थिति- श्रीमान जुनैश पी. अधिवक्ता याची की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं।

प्रतिवादी को रजिस्टर्ड डाक और ईमेल के माध्यम से दिनांक 17.08.2026 को नोटिस भेजा गया था किंतु अभी तक आयोग के न्यायालय को भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि भौतिक निरीक्षण समिति के सदस्यों को अनुस्मरण पत्र भेजा जाये तथा भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट सकारात्मक रूप से अगली सुनवाई से पहले भेजने का निर्देश दिया जाए।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सूचित किया जाए कि अगली सुनवाई से पहले संबंधित सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि आयोग के न्यायालय में जमा करें।

न्यायहित में मामले को दिनांक 12.11.2026 को सूचीबद्ध किया जाए।

डॉ. शाहिद अख्तर
सदस्य

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

सिलिकोबाईट कटनी डिग्री कॉलेज, ज्ञानतीर्थ, कटनी, मध्यप्रदेश

बनाम

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश।

केस नंबर 154/2026 **दिनांक 16.09.2026**

उपस्थिति- श्रीमान इफतेखार अहमद. अधिवक्ता याची की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं।

कार्यालय आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश से ईमेल के द्वारा दिनांक 27.08.2026 पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है *कि संबंधित आवेदक संस्था द्वारा एन.सी.एम.ई.आई एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर एकीकृत प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम एवं प्राधिकृत आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्यप्रदेश के समक्ष कार्यालय में आवेदन नहीं किया गया है,* जिसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। इस संबंध में कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि याचीकाकर्ता के विद्वान वकील को पत्र की प्रति उपलब्ध कराई जाये।

2. याचीकाकर्ता के विद्वान वकील ने 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निवेदन किया है।

3. अनुपालन के बाद कार्यालय को आदेश दिया जाता है संयुक्त संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश को पत्र भेजा जाये तथा सकारात्मक रूप से अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब भेजने का निर्देश दिया जाए।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिनांक 07.09.2026 को दस्ती द्वारा 07 (सात) दस्तावेज कार्यालय में जमा किये गये हैं, जिन्हें रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है।

5. उपरोक्त अनुपालना के बाद मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह उचित होगा कि याचिकाकर्ता संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों वाली भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट और उसकी सिफारिशें प्राप्त की जायें:-

1. संबंधित जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि (अध्यक्ष)
2. संबंधित जिला अधिकारी (स्दस्य)
3. संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (स्दस्य सचिव)

6. कार्यालय को उपरोक्त प्राधिकारियों को पत्र जारी करने और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को भौतिक निरीक्षण समिति के सदस्यों से संपर्क करने और उकत समिति को सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा याचिकाकर्ता संस्थान के निरीक्षण के लिए भौतिक निरीक्षण समिति के साथ मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है।

7. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सूचित किया जाए कि अगली सुनवाई से पहले संबंधित सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि आयोग के न्यायालय में जमा करें।

न्यायहित में मामले को दिनांक 18.11.2026 को सूचीबद्ध किया जाए।

डॉ. शाहिद अख्तर

सदस्य

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम कॉलेज ऑ एजुकेशन, प्लॉट नं. 1140/10/के.ए. गांव पंती पोस्ट गुढ़ जिला रीवा, मध्यप्रदेश

बनाम

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश।

केस नं.- 121/2026 **दिनांक 16.09.2026**

उपस्थिति- श्रीमान इफतेखार अहमद. अधिवक्ता याची की ओर से।
प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं।

प्रतिवादी को रजिस्टर्ड डाक और ईमेल के माध्यम से दिनांक 19.08.2026 को नोटिस भेजा गया था किंतु अभी तक आयोग के न्यायालय को भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि भौतिक निरीक्षण समिति के सदस्यों को अनुस्मरण पत्र भेजा जाये तथा भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट सकारात्मक रूप से अगली सुनवाई से पहले भेजने का निर्देश दिया जाए।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सूचित किया जाए कि अगली सुनवाई से पहले संबंधित सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि आयोग के न्यायालय में जमा करें।

न्यायहित में मामले को दिनांक 18.11.2026 को सूचीबद्ध किया जाए।

डॉ. शाहिद अख्तर
सदस्य

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

जे.पी.बी. कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, खसरा नं. 1/1 और खसरा नं. 25, एस.एच. 19, संकलखेड़ा काला, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश

बनाम

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश।

केस नं.- 108/2026 **दिनांक 16.09.2026**

उपस्थिति- श्रीमान इफतेखार अहमद. अधिवक्ता याची की ओर से।
प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं।

सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंयक कल्याण, जिला विदिशा से दिनांक 14.09.2026 को एक पत्र प्राप्त हुआ है, पत्र के साथ प्रतिवेदन भी संलग्न किया गया है। जिसमें जिला स्तरीय समिति कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिनिधि- अध्यक्ष, सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्पयाण जिला विदिशा- सदस्य, जिला शिक्षा अधिकारी- सदस्य द्वारा दिनांक 03.09.2026 को याची संस्था का भौतिक निरीक्षण किया गया।

2. निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य पाये गये-

समिति द्वारा संस्था के दर्शाए गये पते पर मौके पर जाकर भौतिक निरीक्षण किया गया। वर्णित पते पर एक भवन पाया गया, जिसके मुख्य द्वार पर ताला लगा पाया गया। भवन पर जे.पी.बी. कालेज का नाम ब्लू स्याही से अंकित था, किंतु बारिश के कारण धुल गया है।

संस्था के संबंध में स्थानीय स्तर पर उपस्थित व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त की गई। स्थानीय व्यक्तियों द्वारा संस्था के 1 वर्ष से अधिक से नियमित रूप से संचालित न होने के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई। पंचनामा संलग्न है। अत: उपरोक्त तथ्यों एवं मौके पर किये गये भौतिक सत्यापन के आधार पर संस्था के वर्तमान में संचालित होने की पुष्टि नहीं हो सकी है। जिसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। है।

3. इस संबंध में कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि याचीकाकर्ता के विद्वान वकील को पत्र की प्रति के साथ पंचनामा भी उपलब्ध कराया जाये। याचीकाकर्ता के विद्वान वकील ने 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निवेदन किया है।

4. अनुपालन के बाद कार्यालय को आदेश दिया जाता है संयुक्त संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश को पत्र भेजा जाये तथा सकारात्मक रूप से अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब भेजने का निर्देश दिया जाए।

5. प्रतिवादी को रजिस्टर्ड डाक और ईमेल के माध्यम से दिनांक 18.08.2026 को नोटिस भेजा गया था किंतु अभी तक आयोग के न्यायालय को भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

6. कार्यालय को यह भी आदेश दिया जाता है कि भौतिक निरीक्षण समिति के सदस्यों को अनुस्मरण पत्र भेजा जाये तथा भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट सकारात्मक रूप से अगली सुनवाई से पहले भेजने का निर्देश दिया जाए।

7. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सूचित किया जाए कि अगली सुनवाई से पहले संबंधित सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि आयोग के न्यायालय में जमा करें।

न्यायहित में मामले को दिनांक 18.11.2026 को सूचीबद्ध किया जाए।

डॉ. शाहिद अख्तर
सदस्य

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

श्री सरस्वती ज्ञानपीठ शिक्षा महविद्यालय, 62 लक्षमण नगर, देवास, मध्यप्रदेश

बनाम

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश।

केस नं.- 118/2026 **दिनांक 16.09.2026**

उपस्थिति- श्रीमान इफतेखार अहमद. अधिवक्ता याची की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं।

कार्यालय आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश से ईमेल के द्वारा दिनांक 5.08.2026 पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है *कि संबंधित आवेदक संस्था द्वारा एन.सी.एम.ई.आई एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर एकीकृत प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम एवं प्रधिकृत आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्यप्रदेश के समक्ष कार्यालय में आवेदन नहीं किया गया है,* जिसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। इस संबंध कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि याचीकाकर्ता के विद्वान वकील को पत्र की प्रति उपलब्ध कराई जाये।

2. याचीकाकर्ता के विद्वान वकील ने 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निवेदन किया है।

3. अनुपालन के बाद कार्यालय को आदेश दिया जाता है संयुक्त संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश को पत्र भेजा जाये तथा सकारात्मक रूप से अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब भेजने का निर्देश दिया जाए।

4. प्रतिवादी को रजिस्टर्ड डाक और ईमेल के माध्यम से दिनांक 18.08.2026 को नोटिस भेजा गया था किंतु अभी तक आयोग के न्यायालय को भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

5. कार्यालय को यह भी निर्देश दिया जाता है कि भौ०.तिक निरीक्षण समिति के सदस्यों को अनुस्मरण पत्र भेजा जाये तथा भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट सकारात्मक रूप से अगली सुनवाई से पहले भेजने का निर्देश दिया जाए।

6. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सूचित किया जाए कि अगली सुनवाई से पहले संबंधित सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि आयोग के न्यायालय में जमा करें।

न्यायहित में मामले को दिनांक 18.11.2026 को सूचीबद्ध किया जाए।

डॉ. शाहिद अख्तर
सदस्य

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

एसआरआईपीएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पलॉट नं. 375/1/1 बामोरी रोड, ग्राम धुमेला, गुना, मध्य प्रदेश

बनाम

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश।

केस नं.- 107/2026 **दिनांक 16.09.2026**

उपस्थिति- श्रीमान इफतेखार अहमद. अधिवक्ता याची की ओर से।
प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं।

प्रतिवादी को रजिस्टर्ड डाक और ईमेल के माध्यम से दिनांक 18.08.2026 को नोटिस भेजा गया था किंतु अभी तक आयोग के न्यायालय को भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बताया कि याची संस्था का निरीक्षण 16.09.2026 को किया जा रहा है।

कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि यदि भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, तो भौतिक निरीक्षण समिति के सदस्यों को अनुस्मरण पत्र भेजा जाये तथा भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट सकारात्मक रूप से अगली सुनवाई से पहले भेजने का निर्देश दिया जाए।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सूचित किया जाए कि अगली सुनवाई से पहले संबंधित सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि आयोग के न्यायालय में जमा करें।

न्यायहित में मामले को दिनांक 18.11.2026 को सूचीबद्ध किया जाए।

डॉ. शाहिद अख्तर
सदस्

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

दिनांक 16.09.2026

मॉर्निंग स्टार स्कूल, रिटायर्ड कॉलोनी, रतलाम, मध्यप्रदेश

बनाम

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश।

उपस्थिति- श्रीमान इफतेखार अहमद. अधिवक्ता याची की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं।

अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मॉर्निंग स्टार स्कूल, रिटायर्ड कॉलोनी, रतलाम, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 03.09.2026 को दस्ती द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ है। इसे पंजीकृत किया जाए।

2. याचिका से पता चलता है कि याचिकाकर्ता संस्था ने दिनांक 21.04.2026 को आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए राजिस्टर्ड डाक द्वारा आवेदन किया था। उक्त आवेदन प्रस्तुति के पश्चात 90 दिनों में राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तदोपरांत यह याचिका इस आयोग के समक्ष अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु प्रस्तुत की गई है।

3. याचिकाकर्ता ने कार्यालय, जिला परियोजना समन्वयक, जिला समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र रतलाम द्वारा मान्यता आदेश दिनांक 11.03.2025 को मान्यता आदेश वर्ष 01.04.2025 से 31.03.2028 तक (उच्च प्राथमिक) मॉर्निंग स्टार स्कूल, रिटायर्ड कॉलोनी, रतलाम, मध्यप्रदेश के लिए को मान्यता प्रदान की गई है।

4. याचिकाकर्ता ने साधारण सभा (General Body Meeting) का प्रस्ताव सभी 7 (सात) सदस्यों के हस्ताक्षर सहित दायर किया है।

5. याचिका से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता संस्थान एक गैर-सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक संस्थान है।

6. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 274 छात्रों में से 06 छात्र ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से थे, वर्ष 2025- 26, में कुल 269 छात्रों में से 10 छात्र ईसाई अल्पसंख्यक से थे और शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के दौरान कुल 272 छात्रों में से 10 छात्र ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से हैं।

7. याचिका से पता चलता है कि अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र देने के लिए याचिकाकर्ता ने इस आयोग के समक्ष याचिका सोसायटी की संशोधित नियमावली में संशोधन एनसीएमईआई अधिनियम- 2004 की धारा 10 के तहत आवेदन दाखिल करने से पहले किया गया था।

8. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को सूचित किया जाए कि अगली सुनवाई से पहले संबंधित सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि आयोग के न्यायालय में जमा करें।

9. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी को राजिस्टर्ड डाक और ई-मेल द्वारा नोटिस जारी किया जाये।

न्यायहित में मामले को दिनांक 18.11.2026 को सूचीबद्ध किया जाए।

डॉ. शाहिद अख्तर

सदस्य

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

दिनांक 16.09.2026

मॉर्निंग स्टार हाई स्कूल, गौरव नगर, रतलाम, मध्यप्रदेश

बनाम

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश।

उपस्थिति- श्रीमान इफतेखार अहमद. अधिवक्ता याची की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं।

अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मॉर्निंग स्टार हाई स्कूल, गौरव नगर, रतलाम, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 03.09.2026 को दस्ती द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ है। इसे पंजीकृत किया जाए।

2. याचिका से पता चलता है कि याचिकाकर्ता संस्था ने दिनांक 21.04.2026 को आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए राजिस्टर्ड डाक द्वारा आवेदन किया था। उक्त आवेदन प्रस्तुति के पश्चात 90 दिनों में राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तदोपरांत यह याचिका इस आयोग के समक्ष अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु प्रस्तुत की गई है।

3. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 01.04.2023 से 31.03.2028 तक की अवधि के लिए मॉर्निंग स्टार हाई स्कूल, गौरव नगर, रतलाम, मध्यप्रदेश को मान्यता प्रदान की गई है।

4. याचिकाकर्ता ने साधारण सभा (General Body Meeting) का प्रस्ताव सभी 7 (सात) सदस्यों के हस्ताक्षर सहित दायर किया है।

5. याचिका से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता संस्थान एक गैर-सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक संस्थान है।

6. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 1964 छात्रों में से 25 छात्र ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से थे, वर्ष 2025- 26, में कुल 1869 छात्रों में से 32 छात्र ईसाई अल्पसंख्यक से थे और शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के दौरान कुल 1902 छात्रों में से 23 छात्र ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से हैं।

7. याचिका से पता चलता है कि अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र देने के लिए याचिकाकर्ता ने इस आयोग के समक्ष याचिका सोसायटी की संशोधित नियमावली में संशोधन एनसीएमईआई अधिनियम- 2004 की धारा 10 के तहत आवेदन दाखिल करने से पहले किया गया था।

8. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को सूचित किया जाए कि अगली सुनवाई से पहले संबंधित सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि आयोग के न्यायालय में जमा करें।

9. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी को राजिस्टर्ड डाक और ई-मेल द्वारा नोटिस जारी किया जाये।

न्यायहित में मामले को दिनांक 18.11.2026 को सूचीबद्ध किया जाए।

डॉ. शाहिद अख्तर

सदस्य

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

दिनांक 16.09.2026

मॉर्निंग स्टार हाई स्कूल, इंदरा नगर, रतलाम, मध्यप्रदेश

बनाम

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश।

उपस्थिति- श्रीमान इफतेखार अहमद. अधिवक्ता याची की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं।

अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मॉर्निंग स्टार हाई स्कूल, इंदरा नगर, रतलाम, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 03.09.2026 को दस्ती द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ है। इसे पंजीकृत किया जाए।

2. याचिका से पता चलता है कि याचिकाकर्ता संस्था ने दिनांक 21.04.2026 को आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए राजिस्टर्ड डाक द्वारा आवेदन किया था। उक्त आवेदन प्रस्तुति के पश्चात 90 दिनों में राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तदोपरांत यह याचिका इस आयोग के समक्ष अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु प्रस्तुत की गई है।

3. याचिकाकर्ता ने लोक शिक्षण संचालनालय संभाग- उज्जैन, मध्यप्रदेश द्वारा मान्यता आदेश दिनांक 05.02.2025 को मान्यता आदेश वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक (उच्च माध्यमिक) मॉर्निंग स्टार हाई स्कूल, इंदरा नगर, रतलाम, मध्यप्रदेश के लिए को मान्यता प्रदान की गई है।

4. याचिकाकर्ता ने साधारण सभा (General Body Meeting) का प्रस्ताव सभी 7 (सात) सदस्यों के हस्ताक्षर सहित दायर किया है।

5. याचिका से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता संस्थान एक गैर-सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक संस्थान है।

6. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 544 छात्रों में से 08 छात्र ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से थे, वर्ष 2025- 26, में कुल 521 छात्रों में से 12 छात्र ईसाई अल्पसंख्यक से थे और शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के दौरान कुल 499 छात्रों में से 12 छात्र ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से हैं।

7. याचिका से पता चलता है कि अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र देने के लिए याचिकाकर्ता ने इस आयोग के समक्ष याचिका सोसायटी की संशोधित नियमावली में संशोधन एनसीएमईआई अधिनियम- 2004 की धारा 10 के तहत आवेदन दाखिल करने से पहले किया गया था।

8. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को सूचित किया जाए कि अगली सुनवाई से पहले संबंधित सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि आयोग के न्यायालय में जमा करें।

9. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी को राजिस्टर्ड डाक और ई-मेल द्वारा नोटिस जारी किया जाये।

न्यायहित में मामले को दिनांक 18.11.2026 को सूचीबद्ध किया जाए।

डॉ. शाहिद अख्तर

सदस्य

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

दिनांक 16.09.2026

अलहम्द इंटरनेशलन स्कूल जियान कॉम्पलैक्स इण्डियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास बेरसिया रोड भोपाल मध्यप्रदेश

बनाम

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश।

उपस्थिति- श्रीमान इफतेखार अहमद. अधिवक्ता याची की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं।

अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए **अलहम्द इंटरनेशलन स्कूल जियान कॉम्पलैक्स इण्डियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास बेरसिया रोड भोपाल मध्यप्रदेश** द्वारा दिनांक 03.09.2026 को दस्ती द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ है। इसे पंजीकृत किया जाए।

2. याचिका से पता चलता है कि याचिकाकर्ता संस्था ने दिनांक 11.05.2026 को आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए राजिस्टर्ड डाक द्वारा आवेदन किया था। उक्त आवेदन प्रस्तुति के पश्चात 90 दिनों में राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तदोपरांत यह याचिका इस आयोग के समक्ष अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु प्रस्तुत की गई है।

3. याचिकाकर्ता ने कार्यालय, जिला परियोजना समन्वयक, जिला समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा मान्यता आदेश दिनांक 08.01.2026 को मान्यता आदेश वर्ष 01.04.2026 से 31.03.2029 तक (उच्च प्राथमिक) अलहम्द इंटरनेशलन स्कूल जियान कॉम्पलैक्स इण्डियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास बेरसिया रोड भोपाल मध्यप्रदेश के लिए को मान्यता प्रदान की गई है।

4. याचिकाकर्ता ने साधारण सभा (General Body Meeting) का प्रस्ताव सभी 7 (सात) सदस्यों के हस्ताक्षर सहित दायर किया है।

5. याचिका से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता संस्थान एक गैर-सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक संस्थान है।

6. शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के दौरान कुल 120 छात्रों में से सभी छात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से हैं।

7. याचिका से पता चलता है कि अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र देने के लिए याचिकाकर्ता ने इस आयोग के समक्ष याचिका सोसायटी की संशोधित नियमावली में संशोधन एनसीएमईआई अधिनियम- 2004 की धारा 10 के तहत आवेदन दाखिल करने से पहले किया गया था।

8. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को सूचित किया जाए कि अगली सुनवाई से पहले संबंधित सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि आयोग के न्यायालय में जमा करें।

9. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी को राजिस्टर्ड डाक और ई-मेल द्वारा नोटिस जारी किया जाये।

न्यायहित में मामले को दिनांक 18.11.2026 को सूचीबद्ध किया जाए।

डॉ. शाहिद अख्तर

सदस्य